तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 07/2015** **सीआईएस संख्या 246/2015** **विनोद कुमार बनाम सीताराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2025	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 18 की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात जमाबंदीयां है, जो कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित है, जो प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु रिकॉर्ड पर लेना आवश्यक है। अतः उन्हें रिकॉर्ड पर ली जावे। वहीं दौराने बहस अधिवक्ता वादी की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि उक्त दस्तावेजात पूर्व से ही प्रतिवादीगण की जानकारी में थे तथा उक्त दस्तावेजात फोटोप्रति है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य वादी हेतु नियत है, जिस स्तर पर उक्त दस्तावेजात पेश किये गये है, जो कि वादग्रस्त सम्पत्ति की जमाबंदीया बतायी गयी है। जिन तथ्यों से अधिवक्ता वादी द्वारा इंकार नहीं किया गया है। जहां तक दस्तावेजात फोटोप्रति होने का प्रश्न है, आदेश 8 नियम 1 के स्तर पर केवल मात्र दस्तावेजात की सुसंगता को देखना होता है, ना कि ग्राह्यता को। वहीं जहां तक देरी का प्रश्न है, यद्यपि दस्तावेजात देरीना से पेश किये गये है, लेकिन दस्तावेजात प्रकरण से सुसंगत है तथा प्रकरण में अभी साक्ष्य वादी होना शेष है, जिसमें उक्त दस्तावेजात के खण्डन बाबत पर्याप्त अवसर वादी को प्राप्त होंगे। अतः बाद गौर न्यायोचित प्रतीत होने से उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में प्रतिवादी सं. 18 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सपठित धारा 151 सीपीसी 2000 रूपये की कोस्ट पर स्वीकार दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 18 कोस्ट की राशि लिटिगेशन वेलफेयर फण्ड में जमा करवाकर नियमानुसार रसीद न्यायालय में पेश करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की जाती है। जिस बाबत समय चाहा। प्रकरण 10 वर्ष से भी अधिक पुराना है। आदेश दिया जाता है कि आईन्दा आवश्यक रूप से साक्ष्य वादी पेश की जावे। पत्रावली साक्ष्य वादी एवं पेश होने रसीद जमा कोस्ट राशि हेतु दिनांक 06.11.2025 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर जिला न्यायाधीश,** **क्रम–3, अजमेर**	